

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-4017/2024 श्र0सं0-1345
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/कैमूर(भभुआ)/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)
नवादा/गोपालगंज/बैशाली/दरभंगा/बक्सर/किशनगंज/सुपौल समस्तीपुर एवं पटना।

पटना, दिनांक- 12/03/25

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230- श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग
संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय विपत्र
कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103
(अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के
संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में
वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान-गैर वतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS2.0
Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

3. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों का
विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये
₹1,00,000/- एवं ₹2,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० स०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-1601, दिनांक-06.11.2024 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० सत्येन्द्र प्रसाद, आश्रित-मसो० सोनी देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-फूलवरिया, थाना+प्रखण्ड-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
2	कैमूर (भभुआ)	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के ज्ञापांक-64, दिनांक-20.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० कृपा नारायण साह, पिता-रामायण साह, आश्रित-मसो० गीता देवी (पत्नी), ग्राम-तिवई, पोस्ट-हाटा, थाना+प्रखण्ड-चैनपुर, जिला-कैमूर।
3	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के ज्ञापांक-234, दिनांक-27.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० लक्ष्मण साह, आश्रित-मसो० ज्ञांती देवी (पत्नी), ग्राम-चुहडी जियछा टोला, वार्ड नं०-13, पोस्ट-चुहडी, थाना+प्रखण्ड-चनपटिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के ज्ञापांक-203, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० विनोद कुमार, आश्रित-मसो० पुनम देवी (पत्नी), ग्राम-भोला टोला, वार्ड नं०-06,

				पोस्ट+थाना+प्रखण्ड-चनपटिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।
4	नवादा	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-213, दिनांक-01.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 अनुपम कुमार, पिता-जगदीश प्रसाद, आश्रित-मसो0 सुनिता देवी (पत्नी), ग्राम-भोला बिगहा, पोस्ट-बहादुरपुर, थाना+प्रखण्ड-रजौली, जिला-नवादा।
		01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-212, दिनांक-01.03.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 बर्जेश प्रसाद, पिता-दर्शनी महतो, आश्रित-मसो0 धर्मशीला देवी (पत्नी), ग्राम-लक्ष्मण बिगहा, पोस्ट-पसादी, थाना+प्रखण्ड-मेसकौर, जिला-नवादा।
5	गोपालगंज	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-169, दिनांक-25.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 विजय कुमार सिंह, आश्रित-श्री पवन सिंह (पुत्र), ग्राम+पोस्ट-लोहिजरा, थाना+प्रखण्ड-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज।
		01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-140, दिनांक-17.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 राजू बिन, आश्रित-मसो0 लीलावती देवी (पत्नी), ग्राम-खजुरिया उपाध्या टोला, पोस्ट-खजुरिया, थाना-सिधवलिया, प्रखण्ड-बरौली, जिला-गोपालगंज।
6	वैशाली	01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-296, दिनांक-22.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मिथलेश कुमार ओझा, पिता-राम चन्द्र ओझा, आश्रित-मसो0 अंजनी देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-जारंगी रामपुर, थाना+प्रखण्ड-पटेदी बेलसर, जिला-वैशाली।
		01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-298, दिनांक-22.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 सुरेन्द्र राय, पिता-लोभित राय, आश्रित-मसो0 पूजा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-बैकुण्ठपुर, थाना+प्रखण्ड-राजापाकड़, जिला-वैशाली।
7	दरभंगा	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-414, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 रंजीत कुमार मंडल, आश्रित-मसो0 सुलेखा देवी (पत्नी), ग्राम-पबड़ा, पोस्ट-अरगा, पंचायत-इनाई, थाना+प्रखण्ड-बहेड़ी, जिला-दरभंगा।
		01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-412, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 इम्तियाज अली, आश्रित-मैनूल हक (पिता), ग्राम+पोस्ट-मरसा, थाना+प्रखण्ड-जाले, जिला-दरभंगा।
		01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-413, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में। (3) मृतक-स्व0 मो0 मुन्ना, आश्रित-यासमीन खातून (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-नरोछ धाम, थाना+प्रखण्ड-जाले, जिला-दरभंगा।

8	बक्सर	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक-136, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 शिवजी यादव, पिता-अमावस यादव, आश्रित-मसो0 शोभा देवी (पत्नी), ग्राम-बिठलपुर बरुना, पोस्ट-बरुना, थाना-औधोगिक थाना, बक्सर, प्रखण्ड-बक्सर सदर, जिला-बक्सर।
9	किशनगंज	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक-165, दिनांक-21.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मो0 रियाज, पिता-मो0 इलयास, आश्रित-बीबी नविसा (पत्नी), ग्राम-बालुबाडी, वार्ड नं0-09, पोस्ट-धनतोला, थाना+प्रखण्ड-दिधलबैंक, जिला-किशनगंज।
10	सुपौल	01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक-142, दिनांक-13.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मो0 शमशाद, पिता-मो0 कासीम, आश्रित-लाडली बेगम (पत्नी), ग्राम-ईटहरी वार्ड नं0-01, पंचायत-बैरों, थाना+प्रखण्ड-सुपौल, जिला-सुपौल।

4. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये ₹1,00,000/- एवं ₹2,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	कैमूर (भभुआ)	01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-109, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 शंकर दयाल राम, पिता-राम सुरत राम, आश्रित-मसो0 सीमा देवी (पत्नी), ग्राम-किरकला, पोस्ट-सोनहन, थाना-सोनहन, प्रखण्ड-भभुआ, जिला-कैमूर।
		01	2,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-66, दिनांक-20.01.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 अभय कुमार, पिता-श्री ददन राम, आश्रित-श्री ददन राम (पिता), ग्राम-मदुरना, पोस्ट-हाटा, थाना+प्रखण्ड-चैनपुर, जिला-कैमूर।
2	समस्तीपुर	01	1,00,000 / —	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-314, दिनांक-20.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सौरभ कुमार, आश्रित-श्रीमती चन्द्रकला देवी (माता), ग्राम+पोस्ट-शेरपुर देपुरा, थाना+प्रखण्ड-विद्यपतिनगर, जिला-समस्तीपुर।
3	पटना	01	2,00,000 / —	जिलापदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3380, दिनांक-21.08.2024 के आलोक में। (1)मृतक-स्व0 प्रकाश कुमार आश्रित-श्री परम पासवान ग्राम-चामुचक, पो 0-पैमार घाट, थाना-पिपरा, प्रखण्ड-पुनपुन, जिला-पटना।

5. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3060, दिनांक-11.06.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र, प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके आश्रितों को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

6. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
7. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
8. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
9. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम पदाधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
10. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
11. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया था।
12. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
13. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ।-4017/24 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैननेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by

मनीष कुमार
Manish Kumar
सहायक श्रमायुक्त
Date: 12-03-2025 16:31:1
बिहार, पटना।